कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रथम डूँगरपुर

क्रमांकः– 4199 दिनांकः– 24/11/2017

श्रीमान प्रधान मुख्य वनसरंक्षक,
राजस्थान जयपुर।

विषयः– बोर का भाटड़ा लघु सिंचाई परियोजना हेतु इन क्षेत्र के कास्तकारों को जमीन के बदले जमीन देने हेतु 6.5 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका ऑनलाईन मेल दिनांक 01.11.2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आप द्वारा जो आक्षेप प्राप्त हुए है पूर्ति कर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जो भूमि 6.5 हैक्टर प्रत्यावर्तन हेतु रानीझूला वनखण्ड में प्रस्तावित की गयी है वह अनसर्वेयड है जो उंटिया गांव की पश्चिम दिशा में स्थित है चूंकि यह वन विभाग में होने से अनसर्वेयड है। अतः अनसर्वेयड भूमि किसी भी गांव में शामिल नहीं होती है अथवा भूमि का राजस्व विभाग द्वारा सेटलमेन्ट नही किया जाता है, परन्तु उक्त अनसर्वेयड भूमि ग्राम उटिया सीमा से लगती हुई है। अतः इस ग्राम में ही मानी गई है।
2. उक्त प्रस्तावित भूमि केवल कृषि हेतु आवंटित की जा रही है। आवासीय प्रयोजनार्थ नही है। अतः सड़क सामुदायिक सुविधाएं आदि दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
3. बिन्दू संख्या 3 की पालना कर दी गयी है। चूंकि प्रभावित कास्तकार मौके की भौतिक स्थिति अनुसार वनक्षेत्र के किनारे ही बसे हुए है। अतः परम्परागत रास्ते जो वनक्षेत्र की सीमा से लगते है उपयोग किये जा सकते है। अतः अलग से रास्ते की आवश्यकता नहीं रहेगी।
4. बिन्दू संख्या 4 की पालना कर दी गयी है चूंकि प्रभावित कास्तकार मौके की भौतिक स्थिति अनुसार वनक्षेत्र के सीमा से लगते हुए बसे हुए है। अतः परम्परागत रास्ते जो वनक्षेत्र सीमा से लगते हुए उपयोग किया जा सकता है।
5. बिन्दू संख्या 5 की पालना कर दी गयी है जो 4 से ही संबंधित है।
6. सलंग्न कर दिया गया है।
7. बिन्दू संख्या 7 की पालना संशोधित कर दी गयी है।
8. बिन्दू संख्या 8 की पालना कर दी गयी है।

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत मुल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीत स्वीकृति पूर्व में ही पत्र क्रमांक/एफ3(5)441 दिनांक 18.07.2006 राशि रूपये 275.03 लाख द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत है। जिसकी प्रति पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है, अब पुनः सलंग्न कर दी गयी है।
2. विस्थापन योजना रिहेबिलीटेशन प्रस्ताव के अन्तर्गत नही है।
3. संलग्न कर दिया गया है।
4. संलग्न है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण का पुर्नपरिक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करावे।

(के.एल. रोत)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड प्रथम,
डूँगरपुर